उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
(यूपीडा)

बोर्ड की 64वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 12.03.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.03.2021 को सम्पन्न हुई 64वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :—

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य/सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) —सदस्य
5. **श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण)** —सदस्य
6. **श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)** —सदस्य
7. **श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)** —सदस्य

<u>विशेष आमंत्री:—</u>

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू—अर्जन), यूपीडा।
7. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी (भू—अर्जन), यूपीडा।
8. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी, भू—अर्जन, यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री अनन्त कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
11. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार, प्रोक्योरमेन्ट सेल, यूपीडा।
13. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री कमल कुमार, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ), यूपीडा।
15. श्री अरूण कपूर, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएँ), यूपीडा।
16. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
17. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।
18. श्री ईशान देव गिरि, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 64वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.01.2021 को सम्पन्न हुई 63वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 63वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.01.2021 को सम्पन्न 63वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– **निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.01.2021 को सम्पन्न हुई 63वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।**

एजेण्डा बिन्दु–03:– **"आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर वर्ष 2021–22 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या– 2747/77–3–2017–37 एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई थी। उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर टोल की वसूली की जा रही है।

उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 02/2018/235/77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–3 द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे हेतु विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2017–18 के लिये आगणित टोल दरों पर टोलिंग प्रारम्भ करने के दिनांक से छः माह की अवधि के लिये 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त अधिसूचना के प्रस्तर–4 द्वारा वर्ष 2017–18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अर्न्तगत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तदोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1596/77–3–18–37एम–12टी0सी0 दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये आगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। तद्नुसार टोल नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त संशोधित दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली हेतु मे0 सहाकार ग्लोबल लि0 को ई–टेण्डर प्रकिया के माध्यम से 02 वर्ष की अवधि के लिये चयनित कर टोल वसूली का कार्य कराया जा रहा है। उक्त ई–टेण्डर में निविदाकर्ताओं को सूचित किया गया था कि निर्धारित टोल की दरों में पूर्ण अनुबन्ध अवधि में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी। निदेशक मण्डल को यह भी सूचित किया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली हेतु उक्त एजेन्सी का चयन मा0 मत्रिंपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–2098/77–3–2020–37 (एम)/12 दिनांक 01.10.2020 के अनुक्रम में किया गया है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) के आधार पर **'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2021–22 हेतु आंकलित निम्नवत संशोधित टोल दरों** से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गयाः–

1–

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0)	
अवधि	दर
दिसम्बर–2016	343.32
दिसम्बर–2017	355.66
दिसम्बर–2018	369.19
दिसम्बर–2019	377.49
दिसम्बर–2020	382.66

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2017–18 के लिये दिसम्बर 2016 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 343.32) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2020–21 के लिये दिसम्बर 2019 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 377.49) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2021–22 के लिये दिसम्बर 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 382.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	2.20	2.30	2.30
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.50	3.65	3.65
3	बस या ट्रक	7.05	7.35	7.35
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	10.85	11.30	11.35
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	13.85	14.40	14.50

2–निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2021–22 के लिये दिसम्बर, 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 382.66) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगीः–

फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)											
क्रम सं0	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन		हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस		बस या ट्रक		भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)		विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	
		वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22
1	10-15	6.25	6.30	9.35	9.40	18.70	18.85	27.45	27.60	37.40	37.60
2	रू0 15 करोड के बाद प्रत्येक 5 करोड या उसके भाग पर रू0 100 करोड तक	1.25	1.25	1.85	1.90	3.75	3.75	5.60	5.65	7.50	7.55
3	रू0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक	0.95	0.95	1.45	1.45	2.80	2.80	4.25	4.30	5.60	5.65
4	रू0 200 करोड ऊपर प्रत्येक 5 करोड या उसके भाग पर	0.60	0.65	0.95	0.95	1.85	1.90	2.80	2.80	3.75	3.75

"उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर आगरा से लखनऊ तक विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2021–22 हेतु आंगणित की गई संशोधित टोल दरें निम्नवत् हैं:–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2020–21 के लिये दिसम्बर 2019 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 377.49) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)		वर्ष 2021–22 के लिये दिसम्बर 2020 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 382.66) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	
		25% की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू0 5/– की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के (राउण्डिंग के बिना)	25% की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू0 5/– की राउण्डिंग सहित)	बिना छूट के (राउण्डिंग के बिना)
1	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	595	796	600	797
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	940	1256	945	1257
3	बस या ट्रक	1895	2524	1895	2526
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	2900	3869	2915	3887
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3720	4958	3745	4992

उपरोक्तानुसार वर्ष 2021–22 हेतु पुर्नरिक्षित टोल दरों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच लागू टोल दरों की धनराशि का विवरण निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया था। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3– 2018–37 एनएम–12 दिनांक 15. 01.2018 द्वारा टोल दरों में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया:–

i. **'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2021–22 हेतु आंगणित संशोधित टोल दरों पर पूर्व की भाँति 25 प्रतिशत की छूट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
ii. **'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2021–22 (01.04.2021 से लागू) के लिये आंगणित संशोधित आधार टोल दरों एवं एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच लागू टोल दरों की धनराशि (25 प्रतिशत की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु–04:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर 4 'वे–साइड एमेनिटीज' बी0ओ0टी0 के आधार पर पी0पी0पी0 मोड में स्थापित किये जाने हेतु परामर्शी नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के निम्नलिखित स्थानों पर 04 'वे–साइड एमेनिटीज' स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

PkgNo.	Chainage		Village Name	District	Length (m)	Area (Hec.)	Side	Chainage of Wayside Amenities as per Schedules to CA
	From	To						
II	70+250	70+800	Surauli	Banda	500	10.00	RHS	Wayside Amenities @ 70+500
III	128+200	128+800	Chili	Hamirpur	500	10.00	LHS	Wayside Amenities @ 128+500
IV	178+770	179+330	Purwa	Jalaun	500	10.00	RHS	Wayside Amenities @ 179+050
V	224+000	224+620	Rampur Jalaun, Kirwaha	Jalaun	500	10.00	LHS	Wayside Amenities @ 224+325

निदेशक मण्डल के समक्ष 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर उपरोक्त 04 'वे–साइड एमेनिटीज' स्थापित किये जाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से परामर्शी के चयन हेतु 'टर्म्स ऑफ रिफेरेन्स' (टी0ओ0आर0) का आलेख्य प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तृत विचार–विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त वे–साइड एमेनिटीज़ को पी0पी0पी0/ई0पी0सी0 अथवा अन्य पद्धति पर विकसित किये जाने के विकल्पों पर आवश्यक अध्ययन कर उचित विकल्प प्रस्तावित करने सम्बन्धित कार्य को भी परामर्शी के टर्मस् आफ रिफेरेन्स (टी0ओ0आर0) में सम्मिलित किया जाये। उक्त संशोधन सहित प्रस्तावित टी0ओ0आर0 पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:– निदेशक मण्डल की पूर्व बैठकों में निर्णीत बैंक ऋण से संबन्धित कतिपय बिन्दुओं पर अद्यतन स्थिति।

कार्यवाही / निर्णय

i. गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि क्रय हेतु हडको से ऋण व्यवस्था:-

निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि निदेशक मण्डलकी 29 जुलाई 2020 को सम्पन्न बैठक में पारित संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं. 2598/ 77-3-20-21एम /19 दिनांक 26 नवंबर 2020 के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि क्रय हेतु हडको से ऋणप्राप्त करने की सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करके रु. 2900.00 करोड़ के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष रु. 1000.00 करोड़ का ऋण परियोजना कार्यों हेतु आहरित कर लिया गया है।

ii. पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु ऋण व्यवस्था:-

निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि पूर्वाञ्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु बैंकों से अब तक स्वीकृत ऋण-राशि रु. 11300.00 करोड़ के सापेक्ष 28 फरवरी 2021 तक रु. 5608.68 करोड़ का ऋण परियोजना कार्यों हेतु आहरित कर लिया गया है एवं शेष राशि समय समय पर यूपीडा की आवश्यकताओं के अनुरूप आहरित कर ली जाएगी।

iii. **बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु ऋण व्यवस्था:-**

निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु बैंकों से अब तक स्वीकृत ऋण-राशि रु. 6400.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन से भी प्राप्त हो जाने पर कन्सोर्शियम का गठन कर लिया गया है और इस स्वीकृत ऋण-राशि के सापेक्ष 28 फरवरी 2021 तक रु.2090.00 करोड़ का ऋण परियोजना कार्यों हेतु आहरित कर लिया गया है।

iv. **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु ऋण व्यवस्था:-**

निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु बैंकों से अब तक स्वीकृत ऋण-राशि रु. 2250.00 करोड़ के सापेक्ष 28 फरवरी 2021तक रु. 200.00 करोड़ की ऋण-राशि परियोजना कार्यों हेतु आहरित कर ली गयी है।

v. **गंगा एक्सप्रेसवे केसिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय सलाहकार संस्था की सेवाएँ प्राप्त किये जाने विषयक**

निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि निदेशक मण्डल की 14 अगस्त2020 को सम्पन्न बैठक में पारित संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं. 2598/ 77-3-20-21एम /19 दिनांक 26 नवंबर 2020 के क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे केसिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय सलाहकार संस्था की सेवाएँ प्राप्त किये जाने के संबंध में मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर रु. 50.00 लाख (रुपये पचास लाख केवल) की परियोजना फीस पर आबद्ध कर लिया गया है; उनके द्वारा ड्राफ्ट फाइनेंशियल एड्वाइज़री रिपोर्ट यूपीडा को उपलब्ध कराई गई है, जिसका प्राथमिक अध्ययन किए जाने के पश्चात रिपोर्ट की एक प्रति शासन को इस आशय से प्रेषित की गई है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में यदि कोई संशोधन वांछित हो तो उस पर निर्णय लिया जाकर तदनुसार एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को उनकीफाइनल फाइनेंशियल एड्वाइज़री रिपोर्ट यूपीडा को यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाने हेतु सूचित किया जा सके। साथ हे यह भी सूचित किया गया किफाइनल फाइनेंशियल एड्वाइज़री रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथानुसार निदेशक मण्डलके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा बिन्दु–06:– बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्तपोषण विषयक प्रस्ताव–

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि "बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु पूर्व में 14 अक्टूबर 2019 को सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठक में रु. 7000.00 करोड़ की ऋण-राशि बैंकों से प्राप्त करने हेतु निदेशक मंडल के अनुमोदन के क्रम में रु. 6400.00 करोड़ के स्वीकृति पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा (रु. 2000.00 करोड़), इंडियन बैंक (रु. 1000.00 करोड़), बैंक ऑफ इंडिया (रु. 1000.00 करोड़), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (रु.

700.00 करोड़), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (रु. 700.00 करोड़), यूको बैंक (रु. 500.00 करोड़) तथा केनरा बैंक (रु. 500.00 करोड़) से प्राप्त हुए थे। इन स्वीकृति पत्रों के आधार पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके अभी तक रु. 2090.00 करोड़ की ऋण-राशि का आहरण "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु कर लिया गया है।इसी क्रम में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने अपने 01 जनवरी 2021 के स्वीकृति पत्र संदर्भ सं. CBI/HGZ/ALS/2020-21/01 के माध्यम से रु. 500.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति सूचित की है। बैंक की ऋण-संबंधी मुख्य शर्तें वही हैं जो कि कन्सोर्शियम के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसे शामिल करके स्वीकृत ऋण की कुल धनराशि रु. 6900.00 करोड़ हो गई है। निदेशक मण्डल ने सेन्ट्रल बैंक इण्डिया के रु. 500.00 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया एवं निम्नवत संकल्प पारित किया:-

संकल्प : Resolution

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No.6 placed before it in the meeting of the Board held on 12 March 2021, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA by Central Bank of India for availing a loan of Rs 500.00 crore (Rupees Five Hundred Crore only) as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 7000.00 crore (Rupees Seven Thousand Crore only) from Bank of Baroda led Consortium of banks for Bundelkhand Expressway Project, on the terms and conditions as contained in their Sanction **Letter dated 01 January 2021 (copy of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, has been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Bundelkhand Expressway Project be and is hereby accepted."**

b. **"That the borrowing power of UPEIDA be enhanced by Rs 500.00 crore to enable UPEIDA to avail the loan from Central Bank of India for Rs 500.00 crore (Rupees Five Hundred Crore only) as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 7000.00 crore (Rupees Seven Thousand Crore only) from Bank of Baroda led Consortium of banks for Bundelkhand Expressway Project and that the aforesaid borrowing from aforementioned bank is in accordance with the State Government Approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."**

c. **"That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter of the Bank and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."**

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Consortium led by Bank of Baroda and furnish to the Bank of Baroda Consortium such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Banks."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Consortium led by Bank of Baroda so as to include the Central Bank of India as a part of the Consortium led by Bank of Baroda."

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by the Bank / Consortium (as per the standard formats with such modifications / amendments as may be agreed to between Bank/ Consortium and UPEIDA)."

g. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–07:–	निदेशक मण्डल (गवर्निंग बोर्ड) यूपीडा द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय यूपीडा को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की भूमि क्रय हेतु जनपदों से प्राप्त दर एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
कार्यवाही/निर्णय	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शासनोदश दिनांक 19 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार निदेशक मण्डल की 43वीं बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को प्रदत्तय मूल्य निर्धारण अधिकार गंगा एक्सप्रेसवे में भी भूमि के कय हेतु पूर्व अनुमोदन के कम में दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन) गंगा एक्सप्रेसवे एवं बुन्दलेखण्ड एक्सप्रेसवे को निर्देशित किया गया कि अब तक कय की गई भूमि की दरों का आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त कर लें।
एजेण्डा बिन्दु–08:–	**जेम पोर्टल के माध्यम से यूपीडा में मानव संसाधन आपूर्ति हेतु चयनित संस्था मेसर्स आर0एम0एस0 टेक्नोसोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, लखनऊ का अनुमोदन प्राप्त किये जाने विषयक।**
कार्यवाही/निर्णय	**जेम पोर्टल के माध्यम से यूपीडा में मानव संसाधन आपूर्ति हेतु चयनित संस्था मेसर्स आर0एम0एस0 टेक्नोसोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रा0 लि0, लखनऊ का अनुमोदन प्राप्त किये जाने विषयक प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं निर्धारित प्रकिया अनुसार की गई नियमानुसार कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गई।**
एजेण्डा बिन्दु–09:–	**'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित ग्राम–जखेड़ी, तहसील–राठ, जनपद–हमीरपुर की संरेखण से अतिरिक्त 12.196 हे0 भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
कार्यवाही/निर्णय	'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' के संरेखण से प्रभावित ग्राम–जखेड़ी, तहसील–राठ, जनपद–हमीरपुर की संरेखण से अतिरिक्त 12.196 हे0 भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये अरिक्ति भूमि 12.196 हे0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान की गई।
एजेण्डा बिन्दु–10:–	यूपीडा निदेशक मण्डल की 63वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु–11 के कार्यवृत्त में टंकण त्रुटि निवारण का संज्ञान।
कार्यवाही/निर्णय	यूपीडा निदेशक मण्डल की 63वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु–11 के कार्यवृत्त में टंकण त्रुटि निवारण के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं संशोधन उपरान्त निम्न प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–59 की भूमियों पर बिना किसी विधिक आवंटन के निर्मित तथा धारा–77 की भूमियों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कराकर, परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता को करने एवं श्रेणी–6(2) की भूमि एवं परिसम्पत्ति दोनों का मूल्यांकन सक्षम स्तर से कराकर भूमि एवं परिसम्पत्ति के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित निर्माणकर्ता/अध्यासी को करने के प्रस्ताव।

एजेण्डा बिन्दु–11:– मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 05.03.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण :–

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों ने यूपीडा में माननीय उच्च न्यायालयों में प्रचलित वादों की अद्यतन स्थिति जो विधि परामर्शी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, का संज्ञान लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि यूपीडा में तैनात तीनों अधिवक्ताओं को प्रचलित वादों की सघन समीक्षा करना है, जिसके लिये उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ में प्रचलित वादों की सघन समीक्षा यूपीडा के कनिष्ठ अधिवक्ता, श्री ईशान देव गिरि द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ में प्रचलित वादों की सघन समीक्ष विधि सलाहकार, श्रीमती रिचा मिश्रा को दिये जाने के निर्देश दिये गये एवं श्री शरद तिवारी, विधि परामर्शी को निदेशित किया कि माननीय उच्च न्यायालयों के दोनो ही पीठ में प्रचलित वादों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा आख्या कनिष्ठ अधिवक्ता, श्री ईशान देव गिरि एवं विधि सलाहकार, श्रीमती रिचा मिश्रा से प्राप्त कर प्रस्तावित कार्यवाही एक सप्ताह में तैयार कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकित कराते हुये आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्यो के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करायेंगे।

एजेण्डा बिन्दु–12:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री शाहिर अहमद सिद्दीकी	प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15247/यूपीडा/1410/19/अधि0 दिनांक 25.01.2021
2.	श्री रवि शंकर निगम	प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15246/यूपीडा/1405/19/अधि0 दिनांक 25.01.2021
3.	श्री अभिमन्यु कुमार यादव	लेखाकार कम कैशियर	31.01.2021	06 माह	31.07.2021	सं0–15248/यूपीडा/1641/20/अधि0 दिनांक 25.01.2021
4.	श्री वाई0के0शर्मा	लेखाकार कम कैशियर	31.01.2021	06 माह	31.07.2021	सं0–15307/यूपीडा/1639/20/अधि0 दिनांक 27.01.2021
5.	श्री उमाकान्त कुल श्रेष्ठ	लेखाकार कम कैशियर	31.01.2021	06 माह	31.07.2021	सं0–15306/यूपीडा/1642/20/अधि0 दिनांक 27.01.2021
6.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल)	31.01.2021	एक वर्ष	31.01.2022	सं0–15318/यूपीडा/398/14/अधि0 दिनांक 28.01.2021
7.	श्री अजय कुमार गुप्ता	लेखाकार	31.01.2021	06 माह	31.07.2021	सं0–13323/यूपीडा/504/15/अधि0 दिनांक 28.01.2021
8.	श्री ओंकार नाथ वर्मा	विशेष राजस्व अधिकारी	31.01.2021	06 माह	31.07.2021	सं0–15319/यूपीडा/1094/18/अधि0 दिनांक 28.01.2021
9.	श्री शम्स आजाद	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15321/यूपीडा/1395/19/अधि0 दिनांक 28.01.2021

10.	श्री उमा शंकर सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15320 / यूपीडा / 1380 / 19 / अधि0 दिनांक 28.01.2021
11.	श्री बी0बी0सिंह	परामर्शी (डिफेन्स कॉरीडोर)	11.02.2021	06 माह	11.08.2021	सं0–15430 / यूपीडा / 1269 / 19 / अधि0 दिनांक 02.02.2021
12.	श्री राम खेलावन वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15429 / यूपीडा / 1412 / 19 / अधि0 दिनांक 02.02.2021
13.	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15428 / यूपीडा / 1411 / 19 / अधि0 दिनांक 02.02.2021
14.	श्री रवि भूषण शर्मा	वरिष्ठ परामर्शी (डिफेन्स कॉरीडोर)	04.02.2021	06 माह	04.08.2021	सं0–15431 / यूपीडा / 1521 / 19 / अधि0 दिनांक 02.02.2021
15.	श्री नामवर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.02.2021	06 माह	12.08.2021	सं0–15468 / यूपीडा / 1229 / 19 / अधि0 दिनांक 03.02.2021
16.	श्री फूल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	12.02.2021	06 माह	12.08.2021	सं0–15470 / यूपीडा / 1218 / 19 / अधि0 दिनांक 03.02.2021
17.	श्री ओम प्रकाश पाठक	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	16.02.2021	06 माह	16.08.2021	सं0–15509 / यूपीडा / 528 / 15 / अधि0 दिनांक 05.02.2021
18.	श्री राम कृष्ण गौड़	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2021	06 माह	02.09.2021	सं0–15511 / यूपीडा / 1655 / 20 / अधि0 दिनांक 05.02.2021
19.	श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	25.01.2021	06 माह	25.07.2021	सं0–15510 / यूपीडा / 1406 / 19 / अधि0 दिनांक 05.02.2021
20.	श्री के0के0गुप्ता	वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थान)	25.01.2021	एक वर्ष	25.01.2022	सं0–15680 / यूपीडा / 424 / 15 / अधि0 दिनांक 12.02.2021
21.	श्री कृपाल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.02.2021	06 माह	13.08.2021	सं0–15698 / यूपीडा / 1221 / 19 / अधि0 दिनांक 12.02.2021
22.	श्री राम कुमार	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2021	06 माह	02.09.2021	सं0–15939 / यूपीडा / 1652 / 20 / अधि0 दिनांक 22.02.2021
23.	श्री बंशीधर सीताराम दुबे	सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल)	28.02.2021	एक वर्ष	28.02.2022	सं0–15773 / यूपीडा / 780 / 17 / अधि0 दिनांक 16.02.2021
24.	डा0 शिव सिंह कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16107 / यूपीडा / 1323 / 19 / अधि0 दिनांक 25.02.2021
25.	श्री राम शंकर सोनी	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2021	06 माह	24.09.2021	सं0–16106 / यूपीडा / 1480 / 19 / अधि0 दिनांक 25.02.2021
26.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2021	06 माह	24.09.2021	सं0–16102 / यूपीडा / 1482 / 19 / अधि0 दिनांक 25.02.2021
27.	श्री प्रकाश सिंह	लेखाकार कम आडिटर	24.03.2021	06 माह	24.09.2021	सं0–16101 / यूपीडा / 1481 / 19 / अधि0 दिनांक 25.02.2021
28.	श्री शंकर दयाल राम	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2021	06 माह	02.09.2021	सं0–16103 / यूपीडा / 1656 / 19 / अधि0 दिनांक 25.02.2021
29.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2021	06 माह	02.09.2021	सं0–16224 / यूपीडा / 1660 / 20 / अधि0 दिनांक 02.03.2021
30.	श्री राममूर्ति	निजी सचिव	02.03.2021	03 माह	02.06.2021	सं0–16223 / यूपीडा / 1109 / 18 / अधि0 दिनांक 02.03.2021
31.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	30.03.2021	06 माह	30.09.2021	सं0–16222 / यूपीडा / 519 / 15 / अधि0 दिनांक 02.03.2021
32.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16221 / यूपीडा / 431 / 15 / अधि0 दिनांक 02.03.2021
33.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16225 / यूपीडा / 1088 / 18 / अधि0 दिनांक 02.03.2021
34.	श्री राम प्रकाश भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2021	06 माह	02.09.2021	सं0–16220 / यूपीडा / 1658 / 20 / अधि0 दिनांक 02.03.2021
35.	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक (सिविल)	06.03.2021	06 माह	06.09.2021	सं0–16280 / यूपीडा / 1665 / 20 / अधि0 दिनांक 04.03.2021
36.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16283 / यूपीडा / 1082 / 18 / अधि0 दिनांक 05.03.2021

2. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी का नाम जिनकी सेवा समाप्त की गयी है, जिसका अनुमोदन 64 वीं बोर्ड मण्डल की बैठक दिनांक 12.03.2021 में प्राप्त किया जाना है, विवरण निम्नवत् है:–

यूपीडा में तैनात (संविदा) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा सेवायें उक्त तिथि से समाप्त की गयी है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक दिनांक 12.03.2021 में किया जाना है।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति अवधि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
1.	श्री मोहम्मद जुबैर अन्सारी	प्रबन्धक (सिविल)	06 माह	11.01.2021	सं0–16219 / यूपीडा / 1661 / 20 / अधि0 दिनांक 02.03.2021

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (पैकेज सं. 1 से 8) के अनुबन्धों में पुनरीक्षित शिड्यूल–एच (कान्ट्रैक्ट प्राइस वेटिज) की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय — **निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं प्रस्ताव शासन को विचारार्थ प्रेषित कर दिया गया।**

एजेण्डा बिन्दु–14:– आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय — **मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक प्रचलित वाद की अद्यतन स्थिति से निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।**

एजेण्डा बिन्दु–15:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:–

(धनराशि करोड में)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर / वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	160.00	160.00	160.00	
	योग		160.00	160.00	160.00	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1400.00	1040.00	1020.00	
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	2800.00	2800.00	2800.00	
	योग		4200.00	3840.00	3820.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	589.52	345.33	287.87	
	योग		589.52	345.33	287.87	
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	176.00	176.00	176.00	
		भूमि कय	588.88	588.88	588.88	

	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	200.00	200.00	200.00	
	योग		964.88	964.88	964.88	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	36.35	8.08	2.66	
			36.35	8.08	2.66	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	950.00	950.00	950.00	
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	2090.00	2090.00	2090.00	
	योग		3040.00	3040.00	3040.00	
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	155.07	70.76	56.40	
	योग		155.07	70.76	56.40	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	11.76	0.00	
	योग		150.00	11.76	0.00	
I	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	2000.00	1813.19	1813.19	
	योग		**2000.00**	**1813.19**	**1813.19**	
J	**बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना**	अनुदान संख्या–7	**200.00**	**200.00**	**200.00**	
	योग		**200.00**	**200.00**	**200.00**	
K	**गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनो ओर जनपद गोरखपुर मे औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु**	अनुदान संख्या–7	**200.00**	**0.00**	**0.00**	
	योग		**200.00**	**0.00**	**0.00**	
	महायोग		**11695.82**	**10454.00**	**10345.00**	

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आय–व्यय (बजट)

1. पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवें (ग्रीन फील्ड) परियोजना

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय (लाख मे)			वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान
	पूंजीगत परिव्यय	कुल	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	
1	भूमि कय हेतु	–	–	–	
2	निर्माण कार्य हेतु	337779	236452	101327	110679
3	यूटीलिटी शिफ्टिग एवं अन्य व्यय	9352	0	9352	
	योगः–	**347131**	**236452**	**110679**	**110679**
	राजस्व व्यय				
4	भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर व्याज	64857		64857	84000
	मूल का भुगतान	94166		94166	94168
	योगः–	**159023**	**0**	**159023**	**178168**

2. बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवें परियोजना

क0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय (लाख मे)			वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान
	पूंजीगत परिव्यय	कुल	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	
1	भूमि कय हेतु	5585.00	–	5585.00	5585
2	निर्माण कार्य हेतु	406729.00	284711.00	122018.00	143586
3	यूटीलिटी शिफ्टिग एवं अन्य व्यय	21568.00	–	21568.00	
	कुल योगः–	433882.00	284711.00	149171.00	**149171**
	राजस्व व्यय				
4	भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर व्याज	24524.00		24524.00	32950
	योगः–	24524.00		24524.00	**32950**

3. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय (लाख मे)			वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान
	पूंजीगत परिव्यय	कुल	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	
1	भूमि क्रय हेतु	25234.00	—	25234.00	25234
2	निर्माण कार्य हेतु	123744.00	86621.00	37123.00	60748
3	यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य व्यय	23625.00	—	23625.00	
	कुल योगः—	172603.00	86621.00	85982.00	**85982**
	राजस्व व्यय				
4	भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज	4233.00		4233.00	5775
	योगः—	4233.00		4233.00	**5775**

4. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना)

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय (लाख मे)			वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान
	पूंजीगत परिव्यय	कुल	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	
1	भूमि क्रय हेतु (09–60)	500000.00	—	500000.00	220000
	भूमि क्रय हेतु (12–60)				500000
2	यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य व्यय	48924.00	—	48924.00	48924
	कुल योगः—	**548924.00**	..	**548924.00**	**768924**
	राजस्व व्यय				
4	**भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज**	**16362.00**		**16362.00**	**16362**
	योगः—	**16362.00**		**16362.00**	**16362**

5. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवें के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय (लाख मे)			वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान
	पूंजीगत परिव्यय	**कुल**	**वित्तीय संस्था से ऋण**	**शासन से मांग**	
1	**भूमि क्रय एवं अवस्थापना सम्बन्धी संरचनाओं के विकास हेतु**	**65000.00**	—	**65000.00**	**15000**
	कुल योगः—	**65000.00**	—	**65000.00**	**15000**

6. 'बलिया लिंक एक्सप्रेसवे' परियोजना

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय (लाख मे)			वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान
	पूंजीगत परिव्यय	कुल	वित्तीय संस्था से ऋण	शासन से मांग	
1	भूमि क्रय हेतु	5000.00	—	5000.00	5000
	कुल योगः—	5000.00	—	5000.00	**5000**

7. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2021–22 मे अनुमानित व्यय हेतु शासन से मांग (लाख मे)	वर्ष 2021–22 मे बजट प्राविधान (लाख मे)
1	05 पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के अनुरक्षण कार्यो के सम्भावित देयक	18500	25000
2	अथारिटी इंजीनियर के संभावित देयक	500	
3	A.T.M.S. कार्य के सम्भावित देयक	300	
4	एक्सप्रेसवे पर पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु सम्भावित देयक	200	
5	सी0आर0आर0आई0 की रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में संस्तुत किये गये कार्यो से	9190	

	सम्बन्धित देयक		
6	एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा हेतु टोल प्लाजा पर टॉयलेट, कैन्टीन एवं अतिरिक्त कक्ष तथा वे-साइट एमेनिडीज पर टॉयलेट निर्माण का कार्य से सम्बन्धित देयक	668	
7	आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों को Change of Law के अन्तर्गत रॉयल्टी की दरों एवं वैट की दरों में वृद्वि के फलस्वरूप अतिरिक्त भुगतान के सम्भावित देयक	12000	
	कुल योग	**41358**	**25000**

कार्यवाही / निर्णय — वित्त नियंत्रक महोदय यूपीडा द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के आय–व्यय विवरण से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया, अवलोकनोपरान्त प्रस्तुत आय–व्यय प्रपत्र पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

<u>एजेण्डा बिन्दु–16:–</u> — <u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

<u>एजेण्डा बिन्दु–17:–</u> — **<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि बुन्दलेखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना **के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यो के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी** इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है। **नोटिस के क्रम में ई0पी0सी0 ठेकेदारों द्वारा विस्तृत गणना के आधार पर आगणन प्रेषित किये जाने है जिनके परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात् निदेशक मण्डल को पुनः अवगत कराया जायेगा।**

उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:–</u> — **<u>गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ता एप्को इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 को कोविड–19 आपदा के कारण पुनः समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में :–</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:–</u> — <u>पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे परियोजना अथॉरिटी इंजीनियर–1 एवं अथॉरिटी इजीनियर–2 को समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में :–</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:–</u> — <u>Approval of Construction of Toilet Blocks under Change of Scope in Purvanchal Expressway in Pkg 1 to Pkg-8</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत चेंक ऑफ स्कोप प्रदान किये जाने का अनुमोदन :–**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–05:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेवे पर चेन्ज आफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.03.2021 को सम्पन्न हुई 64वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 12.03.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी